एयरपोर्ट मामला विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार पर कोर्ट ने सरकार पर जताई नाराजगी

आपकी काम करने की इच्छा ही नहीं है : चीफ जस्टिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास को लेकर दायर दो जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अधिकारी काम करने की इच्छाशक्ति नहीं रखते और हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है।

कोर्ट में पेश फोटोग्राफ्स पर भी उठाए सवाल: महाधिवक्ता द्वारा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग कार्य की तस्वीरें पेश की गईं, जिस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि, आप खुद देखिए इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है। एक गाड़ी खड़ी है और कुछ लोग पीछे खड़े हैं। क्या यही विकास का काम है।

286 एकड़ जमीन पर कार्य करने की अनुमति दे दी है रक्षा मंत्रालय ने

चीफ सिकरेट्री और डिफेंस सिकरेट्री से हाइ कोर्ट ने मांगा शपथ-पत्र सहित जवाब

बोल दीजिए आपसे नहीं होगा

याचिकाकर्ता अधिवक्ता संदीप दुबे और आशीष श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि एयरपोर्ट आज भी उसी स्थिति में है जैसा पहले था। विकास कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस पर चीफ जस्टिस ने राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत से नाराजगी भरे स्वर में कहा कि, आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम दोनों पीआइएल खत्म कर देते हैं। सीजे ने यह भी कहा कि जब सुनवाई होती है, तो सिर्फ समय मांग लिया जाता है, अधिकारी गंभीर नहीं हैं।

शायद बिलासपुर का भाग्य किसी और सरकार में जागे

चीफ जस्टिस ने तल्ख लहजे में कहा कि बिलासपुर का भाग्य कब जागेगा, कोई नई सरकार आएगी तो शायद कुछ कर सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि आफसरों की बाडी लैंग्वेज देखकर ही लगता है कि उन्हें काम करने की कोई इच्छा नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने 286 एकड़ जमीन पर कार्य की अनुमति दे दी है, ताकि रनवे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई जा सके। इस पर चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से पूछा कि अनुमति के बाद भी काम क्यों नहीं हुआ।

पहले जमीन को अपने नाम करवाना चाह रही राज्य सरकार

महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जमीन के एवज में रक्षा मंत्रालय ने अधिक राशि की मांग की है, जिसे लेकर मामला अटका हुआ है। राज्य सरकार पहले जमीन अपने नाम करवाना चाहती है, उसके बाद आगे कार्य शुरू होगा। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और रक्षा सचिव को तलब किया है और उनसे शपथ-पत्र सहित विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।